रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D-(D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 475] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1984/पौष 1, 1906
No 475] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 22, 1984/PAUSA 1, 1906

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1984

अधिसूचना

सा का. नि. 820(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासीमंडल में भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण पूर्वी रेलवे के अपर महाप्रबन्धक (परिचालन) के स्थान पर प्रमंडलीय रेलवे प्रबन्धक, वाल्टेयर, दक्षिण पूर्वी रेलवे को नियुक्त करती

है, और भारत सरकार में नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 234 (अ) दिनांक 29 मार्च, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 7 के सामने, "मुख्य कार्मिक अधिकारी (परिचालन), दक्षिण पूर्वी रेलवे, कलकत्ता," शब्दों के बदले "प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक वाल्टेयर, दक्षिण पूर्वी रेलवे" शब्द रखे जायेंगे ।

[फाइल सं. पी. डब्ल्यू पीटीबी-28/83]

पी. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 22nd December, 1984

NOTIFICATION

G.S.R. 820(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Divisional Railway Manager, Waltair, S. E. Railway, a Trustee to represent the Indian Railways, on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam *vice* the Additional General Manager (Operations), South Eastern Railway, Calcutta and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 234(E), dated 29 March, 1984, namely :—

In the said Notification, against Serial Number 7, for the words "Additional General Manager (Operations), South Eastern Railway, Calcutta", the words "Divisional Railway Manager, Waltair, S.E. Railway", shall be substituted.

[F. No. PW|PTB-28|83]
P. V. RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985